प्रेस विज्ञप्ति

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग ने दिनांक २२.८.२०१२, (प्रकरण /१५१/२०११) के अपने आदेश द्वारा रिहायती उपभोक्ताओं को छोडकर (०-३०० युनिट तक उपयोग करनेवाले) रिलायंस सप्लाई से टाटा पावर सप्लाई में परिवर्तन के उपर रोक लगाई

यह आदेश, आयोग द्वारा दिये गये अंतरिम आदेश दिनांक १५ अक्टूबर २००९ (प्रकरण ५०/२००९) (जो विद्युत अधिनियम, २००३ की धारा ९४ (२) के अंतर्गत), उसे सुधार के रुप में मतेक्य के लिए, सभी से चर्चा करने के बाद जारी किया गया। इसमें उपभोक्ताओं को वर्तमान वितरक से दुसरे वितरक से सप्लायर परिवर्तन के लिए दिशा निर्देश दिये गये हैं।

रिलांइस (वितरण) ने २१ ऑक्टोबर २०११ को, आयोग के समक्ष, अपने प्रतिवेदन में कहा था कि टाटा पावर (वितरण) ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाते हुए कुछ चुने हुए उपभोक्ताओं को ही रिलायंस (वितरण) से टाटा पावर (वितरण में) में सप्लायर परिवर्तन की सुविधा दी और इसी तरह उसने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही अपनी वितरण प्रणाली का विस्तार किया है, इस तरह टाटा पावर (वितरण) अपने सभी उपभोक्ताओं को समान सुविधा नहीं प्रदान कर रहा है।

आयोग ने समीक्षा करने के बाद निम्नलिखित तथ्य पाये।

- आयोग के विचार से, टाटा पावर (वितरण) ने बड़े उपभोक्ताओं को ही चुनने की कोशिश की है जो वर्तमान वितरण सप्लायर से उनकी तरफ परिवर्तन चाहते हैं, जब कि उन्हें सभी उपयुक्त-उपभोक्ताओं को समान अवसर देना चाहिए था, जो कि वितरण लायसेंस की एक मुख्य व्यवस्था है।

- टाटा पावर (वितरण), अपनी वितरण प्रणाली सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में लगा रहे है जो कि चुने हुए बड़े उपभोक्ताओं की ही फायदे के लिए है। वितरण प्रणाली बाकी उपभोक्ता (जो कि फैले हुए हैं) उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा है।

- आयोग के विचार से, टाटा पावर (वितरण) का यह तरीका रिलायंस (वितरण) को, जो उसी क्षेत्र में कार्यरत है, समान अवसर से वंचित करता है और यह बिजली वितरण के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नही देता है।

- टाटा पावर (वितरण) उन सब उपभोक्ताओं को, जो ११ क्षेत्रों में फैले हुए है, उन्हें भी, समान सुविधा उपलब्ध कराने का संकल्प पूरा नहीं कर रहे हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के चार साल बाद भी अपनी वितरण प्रणाली उन स्थानों पर नहीं लगा पाये हैं।

आयोग ने इन सभी तथ्यों की समीक्षा करने के बाद इस विषय पर हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया है। आयोग उपभोक्ताओं का वर्तमान वितरक से नये वितरक में सप्लायर परिवर्तन पर निगरानी रखेगा ताकि सभी उपभोक्ताओं को समान अवसर मिलें और छोटे उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखा जाए।

उपभोक्ता को अपना विद्युत सप्लायर चुनने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए, अंतरिम आदेश में, निम्नांकित परिवर्तन किए गये है, जो कि इस आदेश की तिथि से अगले एक वर्ष के लिए लागू रहेंगे।

अ) अगले एक वर्ष के लिए, इस आदेश की तिथि से, वितरण सप्लायर परिवर्तन सिर्फ रिहायती उपभोक्ता, जिनकी बिजली खपत ०-३०० युनिट है, के लिए ही लागू होगा।

ब) यह आदेश सप्लायर परिवर्तन, लम्बित आवेदनों पर (इस आदेश की तिथि तक), किसी भी उपभोक्ता पर लागू नहीं होगा।

स) जो उपभोक्ता अपना वितरण सप्लायर परिवर्तन कर चुकें है उन पर इस आदेश का कोई असर नहीं होगा। टाटा पावर (वितरण), रिलायंस (वितरण) की वितरण प्रणाली का उपयोग करते हुए, उन सभी उपभोक्ताओं को, (जिनका मान्य आवेदन इस आदेश के पहले का है) विद्युत आपूर्ति उस समय तक करेगा, जब तक उसकी अपनी वितरण प्रणाली तैयार नहीं हो जाती।

द) आयोग, सभी प्रकार के सप्लायर परिवर्तन से जो उपभोक्ता, टाटा पावर (वितरण) से जुड़ते हैं, उनके उपर निगरानी रखेगा और हर तीन महिने में उसकी समीक्षा करेगा, जिसके लिए दोनों, टाटा पावर (वितरण) एवं रिलायंस (वितरण) आयोग को अपनी रिपोर्ट देंगे। आयोग साल भर की समीक्षा के बाद ही आगे की स्थिति पर कोई निर्णय देगा।

ई) टाटा पावर (वितरण) पहले से अनुमोदित वितरण प्रणाली लगाने की योजना को विस्तारित करेगी और सभी ११ क्षेत्रों में योजना को आयोग के समक्ष २ सप्ताह में प्रस्तुत करेंगे।

फ) टाटा पावर (वितरण) से अपेक्षा है कि वे हर तरह से प्रयत्न कर के, इस आदेश के एक वर्ष के अंदर, अपनी वितरण प्रणाली पूरे ११ क्षेत्रों में -(मीरा

रोड, दहिसर, कुर्ला एलबीएस, साकी, माईंडस्पेस, ट्रॉम्बे, मानखुर्द, चेंबूर, वृन्दावन, आरोग्यनिधि, वसंतोत्सव और मालाड बीएमसी लेगून) लगा लें, ताकि वे सभी रिहायती उपभोक्ताओं को समान अवसर दे, चाहे वे उन क्षेत्रों में कहीं भी रहते हो। आयोग यह मानता है कि अंतरिम आदेश के तहत टाटा पावर (वितरण) को रिलायंस (वितरण) की वितरण प्रणाली के उपयोग की स्वीकृति मात्र एक अंतरिम समाधान है। आयोग सिर्फ चुने हुए क्षेत्रों में वितरण प्रणाली लगाने के लिए कोई सहमति नहीं देगा।

ग) रिहायती उपभोक्ताओं को अच्छी तरह समझाने के और उनके उपयोग के लिए आयोग ने निम्नांकित तालिका बनाई है जो मासिक रुपये में बचत और प्रतिशत में बचत दर्शाती है, जब के रिलायंस (वितरण) से टाटा (वितरण) में अपना बिजली सप्लायर बदलते हैं।

तालिका : बिजली खपत के भिन्न स्तरों के लिए मासिक बिल में बचत -

एल टी १ रिहायती (सिंगल फेज)	मासिक बिल (रु.)			आरइन्फ्रा-डी बिल के संदर्भ में बचत (रु.)		आरइन्फ्रा-डी बिल के संदर्भ में बचत (%)	
सरासरी औसत (युनिट्स)	आरइन्फ्रा-डी के साथ चलें	चेंजओव्हर ग्राहक (आरइन्फ्रा-डी की प्रणाली पर टीपीसी-डी में परिवर्तित हुए)	स्विचओव्हर ग्राहक (टीपीसी-डी की प्रणाली पर टीपीसी-डी में परिवर्तित हुए)	चेंजओव्हर ग्राहक (आरइन्फ्रा-डी की प्रणाली पर टीपीसी-डी में परिवर्तित हुए)	स्विचओव्हर ग्राहक (टीपीसी-डी की प्रणाली पर टीपीसी-डी में परिवर्तित हुए)	चेंजओव्हर ग्राहक (आरइन्फ्रा-डी की प्रणाली पर टीपीसी-डी में परिवर्तित हुए)	स्विचओव्हर ग्राहक (टीपीसी-डी की प्रणाली पर टीपीसी-डी में परिवर्तित हुए)
५० युनिट	२१२	१५५	११५	५७	९७	२७%	४६%
७५ युनिट	३०१	२१५	१५६	८६	१४५	२९%	४८%
१०० युनिट	३९०	३१८	१९६	७१	१९४	१८%	५०%
१५० युनिट	७४०	५५०	४०१	१९०	३३९	२६%	४६%
२०० युनिट	१०६७	७८२	५८४	२८५	४८४	२७%	४५%
२५० युनिट	१३९५	१०१४	७६६	३८१	६२९	२७%	४५%
३०० युनिट	१७२२	१३२५	९४८	३९७	७७४	२३%	४५%